# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 42/2024 अपील
जीसीएमएस नं0 2024/138

हेमन्त आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी –मायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–अपीलांट

*बनाम*

1. बालमुकुन्द आत्मज रामकरण
2. रामकिशन आत्मज रामकरण
3. श्रीमती घींसी बाई पत्नि रामकरण
   जाति मीणा निवासीगण मायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. गिरिराज आत्मज बापूलाल
5. प्रहलाद आत्मज धल्या उर्फ धूला
6. रामकिशन आत्मज दोलतराम
7. दुलीचन्द आत्मज दोलतराम
8. गोपाल आत्मज रतना
9. रमेश आत्मज रतना
10. इन्द्रा बाई पुत्री रामकरण (मृतक) जरिये कायम मुकाम
    10/1 देवकरण पुत्र इन्द्रा बाई पत्नि रामकिशन
    10/2 पवन कुमार पुत्र इन्द्रा बाई पत्नि रामकिशन
    10/3 मनीष पुत्र इन्द्रा बाई पत्नि रामकिशन निवासी ग्राम गुवानदा पं0 मंडिता तह0 सांगोद जिला कोटा
    10/4 प्रेमबाई पुत्री (स्व. इन्द्राबाई) पत्नी गिर्राज निवासी ग्राम रामपुरा पंचायत भगवानपुरा, तहसील खानपुर जिला झालावाड
    10/5 धापु बाई पुत्री स्व0 इन्द्रा बाई पत्नि मुकुट मीणा ग्राम रेणिया खेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़
11. गौशल्या बाई पुत्री रामकरण
    जाति मीणा निवासी मायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 23.08.2023 प्रकरण संख्या 14/2021 तहसीलदार रामगंजमण्डी उनवान बाल मुकुन्द बनाम गिरिराज वगै0 अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट**

उपस्थितः–
1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 3

## निर्णय

दिनांक– 03.06.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2023 से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया है कि–" प्रकरण में सम्यक अवलोकन उपरान्त यह पाते है कि खसरा नं0 543/37 की उत्तर, 569/37 की उत्तर, 565/37 की उत्तर व खसरा नं0 38/2 के मध्य मौके पर रास्ता बना हुआ है, राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं खसरा नं0 566/37 पर पत्थर

जिला कलक्टर
कोटा

कोटा दिवार हो रही है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है । प्रकरण में गुणावगुण पर सम्यक विचारणोपरान्त हम यह पतो है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पारम्परिक रास्ते को बन्द कर उनसे सुखाधिकार का हनन किया है । अप्रार्थीगण द्वारा पारम्परिक रास्ता रोकने का कार्य विधि संगत नहीं कहा जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुदायला की भूमि खसरा नं0 543/37 की उत्तर, 569/37 की उत्तर, 565/37 की उत्तर व खसरा नं0 38/2 के मध्य व खसरा नं0 566/37 के पूर्व में प्रचलित पारम्परिक रास्ते को खुलासा करवाया जावें ।"

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के उक्त आदेश दिनांक 23.08.2023 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्याय़ालय में दिनांक 23.07.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी एक्ट को स्वीकार कर रेस्पो0 नं0 1 ता 3 को उनकी खसरा नं0 37 की 1.30 हे0 भूमि पर आने हेतु अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 543/37 की उत्तर, खसरा नम्बर 569/37 की उत्तर, ख0नं0 565/37 की उत्तर व ख0नं0 38/2 के मध्य में से होकर अपीलान्ट की ख0नं0 566/37 के पूर्व दिशा की ओर से रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है क्योंकि अपीलान्ट के खेत ख0नं0 566/37 के चारों ओर काफी समय से बाउण्ड्री वाल बनी हुई है ओर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 566/37 की भूमि होकर कभी भी रास्ता प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 37 पर आने जाने का नहीं रहा है । इस कारण अपीलान्ट द्वारा रास्ता अवरूद्व करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इसके बावजूद भी अपीलान्ट की भूमि पूर्व दिशा की ओर रास्ता खुलासा करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता का एवं रेस्पोडेन्ट नं0 7,8,9 की ओर से अभिभाषक श्री अंसार अहमद का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 10 फोत होने पर कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकामान रेकार्ड पर लिये गये । कायम मुकामान की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए है । वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पो0 नं0 1 से 3 एवं 7,8,9 के वकील उपस्थित । शेष बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी एक्ट को स्वीकार कर रेस्पो0 नं0 1 ता 3 को उनकी खसरा नं0 37 की 1.30 हे0 भूमि पर आने हेतु अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 543/37 की उत्तर, खसरा नम्बर 569/37 की उत्तर, ख0नं0 565/37 की उत्तर व ख0नं0 38/2 के मध्य में से होकर अपीलान्ट की ख0नं0 566/37 के पूर्व दिशा की ओर से रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है क्योंकि अपीलान्ट के खेत ख0नं0 566/37 के चारों ओर काफी समय से बाउण्ड्री वाल बनी हुई है ओर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 566/37 की भूमि होकर कभी भी रास्ता प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 37 पर आने जाने का नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पो0 नं0 1 से 3 के इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण रेस्पो0 नं01 से 3 के खेत में आने का रास्ता गाडी गडार ग्राम मायला से खसरा नम्बर 50 व 51 के बीच की मेड पर होकर खसरा नम्बर 10 गेर मुमकिन रास्ता व ख0 नं0 32 गेरमुमकिन रास्ता व खसरा नं0 31 गैर मुमकिन रास्ता में होकर प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचते है जिसको प्रतिपक्षी रेस्पो0 नं0 4 ता 8 ने उक्त प्रचलित रास्ते को अवरूद्व कर दिया है । इस कारण उक्त रास्ता को खुलासा करने हेतु रेस्पो0 नं0 4 ता 8 को पावन्द करना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर अन्य खातेदारान की भूमि व अपीलान्ट की भूमि ख0नं0 566/37 के पूर्व में रास्ता खुलासा करने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिपक्षी रेस्पो0 नं0 4 द्वारा मात्र यह कह देने से कि प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता खसरा नं0 50 व 51 के बीच की मेड पर होकर खसरा नम्बर 10 गेर मुमकिन रास्ता व ख0नं0 32 गेरमुमकिन रास्ता व ख0नं0 31 गे0मु0 रास्ता में होकर नहीं रहा

जिला कलक्टर
कोटा

है तथा रास्ता प्रतिपक्षी नं0 7 अपीलान्ट व अन्य काश्तकारों की भूमि के सहारे से होकर रहा है पर विश्वास कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा बाबू ने बताया कि तुम उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दो तुम्हारा कोई रोल नहीं है । इस कारण अपीलान्ट बाद में उपस्थित हुआ । इस कारण दुबारा न तो अपीलान्ट को सूचना दी गयी ओर न अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा अप्रार्थी नं0 1 लगायत 6 द्वारा यह कहा गया कि अप्रार्थी नं0 7 अपीलान्ट ने रास्ता बन्द किया है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य काश्तकार की भूमि पर प्रचलित रास्ता होना मानकर उसे खुलासा करने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । इस कारण पारित निर्णय अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में अपीलान्ट की ख0नं0 566/37 की भूमि जिसके चारों ओर बाउण्ड्री हो रही थी, पर दिनांक 24.6.2024 को पटवारी हल्का खेत पर आया ओर उसने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुये अपीलान्ट की भूमि में रास्ता निकालने की धमकी दी । यदि रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट के खातेदारी की खसरा नम्बर 566/37 की भूमि में रास्ता कायम कर दिया गया तो अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि से वंचित होना पडेगा तथा इससे अपीलान्ट को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी । यदि अपीलांट की भूमि में होकर रास्ता निकालना था तो प्रार्थीगण रेस्पो0 नं0 1 से 3 को धारा 252–ए आर टी एक्ट के तहत कार्यवाही कर डीएलसी की दर के अनुसार रास्ते में काम आने वाली भूमि की कीमत अदा करना चाहिये था । इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.8.2023 निरस्त फरमाया जावें । प्रार्थीगण रेस्पो0 नं0 1 से 3 का प्रार्थना पत्र धारा 251 रा0टी0 एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण रेस्पो0 नं0 1 स 3 की ग्राम मायला स्थित आराजी खसरा नं0 37 की रकबा 1.300 हे0 किस्म बारानी द्वितीय पर पहुंच मार्ग मायला चौराहा पेट्रोल पम्प से निमाणा जाने वाली पक्की सडक से होकर खसरा नं0 38 में होकर तथा एक तरफ खसरा नं0 564/37, 565/37, व दूसरी तरफ 567/37, 568/37, 569/37, 543/37 के मध्य में पूर्व से कायम 40 फीट चोड़ा रास्ता प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंचता था जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया जाने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 **नं0 543/37 की उत्तर, 569/37 की उत्तर, 565/37 की उत्तर व खसरा नं0 38/2 के मध्य मौके पर रास्ता बना हुआ है, राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं खसरा नं0 566/37 में** से ही प्रचलित रास्ता को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश से खातेदारी भूमि में से रास्ता खुलासा कराने के आदेश दिये है, जिसकी पालना भी की जा चुकी है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट वास्ते ग्राम मायला स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं0 37 पर आने जाने के लिए बन्द रास्ते को खुलासा कराने के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 23.08.2024 के विरूद्व यह अपील दिनांक 23.07.2024 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है, वकील रेस्पोडेन्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया एवं दौराने बहस मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है । मियाद के शमन के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारणों पर न्यायहित में एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पो0 नं0 1 से 3 ने अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव मायला स्थित अपने खेत खसरा नं0 37 रकबा 1.300 हे0 किस्म बारानी द्वितीय पर आने जाने का एकमात्र रास्ता गाडी गडार ग्राम मायला के खसरा नं0 50 व 51 के बीच की मेड

जिला कलक्टर
कोटा

पर होकर खसरा नं0 10 गे0मु0 रास्ता, खसरा नं0 31 गे0मु0 रास्ता में होकर प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचता है जिसे अन्य खातेदारान द्वारा बन्द करने से रास्ता खुलासा कराने हेतु निवेदन किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व से ही गे0मु0 रास्ता दर्ज भूमि का रास्ता खुलासा नहीं कराया जाकर खसरा नं0 38 में होकर तथा एक तरफ खसरा नं0 564/37, 565/37 व दूरी तरफ 567/37,568/37 569/37 543/37 के मध्य में रास्ता खुलासा कराने के आदेश दिये है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से जिस आराजी से रास्ता खुलासा कराने का आदेश पारित किया है वह खातेदारों की भूमि है, नियमानुसार खातेदारी भूमि में से 251 में रास्ता दर्ज करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। खातेदारी भूमि में रास्ता के लिए नियमानुसार 251–ए के तहत ही डीएलसी से राशि का भुगतान कर सक्षम न्यायालय द्वारा रास्ता कायम किया जा सकता है । अपीलांट ने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें प्रोपर सुना नहीं गया । वकील रेस्पो0 नं0 1 से 3 ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से जिन खसरा नम्बरान से रास्ता खुलासा कराने के आदेश दिये है उन खसरा नम्बरान में पूर्व से ही प्रचलित आम रास्ता है जिसमें से रेस्पो0 नं0 1 से 3 आते जाते है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर रास्ता खुलासा करा दिया जाना बताया है ।

8. अपीलांट के इस तर्क से हम सहमत है कि जब प्रार्थी रेस्पो0 की भूमि खसरा नं0 37 में जाने का रास्ता पूर्व से ख0नं0 50–51 के बीच में होकर ख0नं0 10 गे0मु0 रास्ता, ख0नं0 31 गे0मु0 रास्ता में होकर मौजूद है जिसे अन्य खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया गया है तो खातेदारी भूमि में से रास्ता किस आधार पर दिया गया है जबकि प्रावधान अनुसार 251–ए रा0टी0 एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में से रास्ता सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खातेदार को डीएलसी की दर से राशि का भुगतान किया जाकर ही रास्ता कायम किया जा सकता है । जबकि प्रार्थी ने भी ग्राम मायला के खसरा नं0 50 व 51 के बीच की मेड पर होकर खसरा नं0 10 गे0मु0 रास्ता, खसरा नं0 31 गे0मु0 रास्ता में होकर प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचतने का रास्ता बताया है जिसे अन्य खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया जाने से रास्ता खुलासा कराने की प्रार्थना की गई थी । हालांकि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भी मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार निर्णय में उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 543/37 की उत्तर, खसरा नम्बर 569/37 की उत्तर, ख0नं0 565/37 की उत्तर व ख0नं0 38/2 के मध्य में से होकर रास्ता बना हुआ है किन्तु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है एवं ख0नं0 566/37 पर पत्थर कोट की दीवार हो रही है । किन्तु तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जिन आराजीयात में से रास्ता दिया गया है वह सभी आराजी खातेदारी की है । इस प्रकार हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश से खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने के आदेश कर दिये है जिसकी पालना भी की जा चुकी है, किन्तु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होते हुए भी खातेदारी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं मानते है । यदि रास्ते खातेदारी भूमि में से ही उपयुक्त एवं रास्ता दिया जाना है तो स्थाईरूप से रास्ता दर्ज किये जाने हेतु वर्तमान प्रचलित नियम अन्तर्गत धारा 251–ए पर विचार क्यों नहीं किया गया ? साथ ही अन्तर्गत धारा 251–ए में सक्षम न्यायालय द्वारा रास्ता दिये जाने के आदेश होते है तो इसमें अपीलांट को भी कोई आपत्ति नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिकरूप से स्वीकार योग्य है ।

9. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 23.8.2023 अपास्त किया जाकर उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 के प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए एवं वर्तमान प्रचलित नियम 251–ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा